भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3330

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में एम्स

†3330. श्री हैबी ईडनः

श्री एम. के. राघवनः

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केरल राज्य की दीर्घकालिक मांग के मद्देनजर वहाँ के मध्य भाग, विशेषकर एर्नाकुलम जिले में एम्स के आवंटन पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किनालूर सहित केरल में एम्स की स्थापना के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी चरण में केरल में एम्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थलों में से किसी स्थल का चयन कर लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में एम्स के स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो स्थल का अन्तिम रूप से चयन करने और परियोजना आरम्भ करने में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एम्स प्रस्ताव के संबंध में केंद्र और केरल राज्य सरकार के बीच चर्चा/वार्ता चल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने एम्स प्रस्ताव के संबंध में केरल के लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं। आदिनांक, इस योजना के अंतर्गत 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है।

केरल सरकार ने राज्य में एम्स की स्थापना के लिए निम्नलिखित चार स्थानों (i) कोझिकोड जिले में किनालूर (ii) तिरुवनंतपुरम जिले में कट्टकडा तालुक (iii) कोट्टयम जिला (iv) एर्नाकुलम जिला को

चिन्हित और प्रस्तावित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के वर्तमान चरण में इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।

इसके अलावा, केरल में विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सुविधाकेंद्रों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए, पीएमएसएसवाई के एक अन्य घटक के अंतर्गत, केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है: (i) त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम (ii) टीडी मेडिकल कॉलेज, अलप्पुझा (iii) कोझीकोड मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड। इसके अलावा, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेंद्रम को भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच लागत साझाकरण के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

*****